सप्तदश

बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

बृहस्पतिवार, तिथि $\frac{\text{07 अग्रहायण, 1946 (श०)}}{\text{28 नवम्बर, 2024 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 06

(1)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	02
(2)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	02
(3)	कृषि विभाग	02
	कुल योग --	06

कालाबाजारी पर रोक लगाना

19. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''बिहार में डी0ए0पी0 खाद 2,000 रुपये में बिक रहा डी0ए0पी0 खाद का बोरा, विक्रेताओं ने दुकान पर लगाये 'आउट ऑफ स्टॉक' के बोर्ड'' के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के बेगूसराय, समस्तीपुर, कटिहार, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, छपरा सहित अन्य जिलों में रबी फसल की बोआई के पहले ही डी0ए0पी0 (फासफेटिक) खाद की किल्लत है, जिससे किसानों को काफी कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खाद की निर्धारित मूल्य 1,350 से 1,450 रुपये है, जबकि बिचौलियों एवं विक्रेताओं द्वारा आउट ऑफ स्टॉक बताकर खाद को 1,700 से 2,000 रुपये तक बेचे जा रहे है, जिससे किसानों का आर्थिक दोहन हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में डी0ए0पी0 खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराकर, कालाबाजारी पर रोक लगाने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निजात दिलाना

20. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 4 नवम्बर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''11 जिलों में पानी का डिस्चार्ज सबसे कम'' के आलोक में क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सबसे कम भू-जल उपलब्धता मुंगेर, बांका, भागलपुर, जमुई, कैमूर, गया, बक्सर, दरभंगा, अरवल, बिहारशरीफ एवं नवादा में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त जिलों में सबसे कम भू-जल उपलब्धता रहने के कारण आमलोगों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जल संकट से निजात के लिये आवश्यक कदम उठाने का इरादा रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना चालू कराना

21. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 4 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''नल-जल की बंद योजनाएँ साल भर बाद भी चालू नहीं'' के आलोक में क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पंचायती राज विभाग ने 70 हजार जलापूर्ति योजनाएँ विभाग को हस्तांतरित की है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक हस्तांतरित सभी जलापूर्ति योजनाओं का विभाग द्वारा मरम्मत नहीं किये जाने से ग्रामीण नल से जल योजना से वंचित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन बंद पड़ी जलापूर्ति योजनाओं को चालू करने का इरादा रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन 58003 ग्रामीण वार्डों में निर्मित 70157 जलापूर्ति योजनाएँ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित की गई है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन जलापूर्ति योजनाओं का हस्तांतरण "As is where is" के आधार पर लिया गया है । विभाग द्वारा 14,976 पूर्णतः चालू 31,879 आंशिक चालू एवं 23,302 बंद योजनाओं को हस्तांतरित लिया गया । तत्पश्चात् बंद योजनाओं को चालू करने हेतु प्रमंडलों को निर्देश दिया गया । विभाग द्वारा अधिकांश बंद योजनाओं को मरम्मती कराकर चालू कराया गया है । राज्य व्यापी अभियान चलाकर सभी योजनाओं की जाँच कराई जा रही है । निरीक्षण के क्रम में बंद पाये गये योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चालू कराया जा रहा है ।

(3) आंशिक स्वीकारात्मक । पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित बंद पड़ी जलापूर्ति योजनाओं को संबंधित प्रमंडलों द्वारा संवेदक के चयन के पश्चात् चालू करा दिया जायेगा ।

भुगतान करना

22. <u>श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)</u>--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 20 नवम्बर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''राज्य के 24 हजार बाढ़ प्रभावित किसानों को नहीं मिल रहा फसल क्षति का अनुदान'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 19 जिलों में 224597 हेक्टेयर का रकबा वर्ष 2024 के बाद से प्रभावित हुआ है, जिसके कारण 33 प्रतिशत से अधिक फसल बर्बाद हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के भोजपुर, पटना, समस्तीपुर, दरभंगा सहित 19 जिलों के 24 हजार बाढ़ प्रभावित किसानों का आवेदन विभागीय स्तर पर लम्बित होने के कारण किसानों को फसल क्षति अनुदान अबतक नहीं मिल पाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुये उक्त जिलों के बाढ़ प्रभावित किसानों को फसल क्षति अनुदान का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

23. <u>श्री अख्तरुल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)</u>--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 27 अक्टूबर, 2024 के अंक में छपी खबर के शीर्षक ''जमीन बिहार के 50 प्रतिशत मामलों का तय समय में निपटारा नहीं'' के आलोक में क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमीन के दाखिल-खारीज का निबटारा 30 दिनों में और जमीन विवाद के मामलों का निबटारा 90 दिनों में करना अनिवार्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के 101 डी0सी0एल0आर0 कार्यालयों में निर्धारित समय में जमीन विवाद से जुड़े मामलों के निष्पादन की दर 60 प्रतिशत से भी कम है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो 101 डी0सी0एल0आर0 कार्यालयों में तय समय में जमीनों के विवाद का 50 प्रतिशत निबटारा लम्बित रहने का क्या औचित्य है ?

<u>प्रभारी मंत्री</u>--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार भूमि दाखिल-खारिज (यथा संशोधित) नियमावली, 2020 के नियम-6(i) के अनुसार ऑनलाइन से प्राप्त दाखिल-खारिज आवेदन/याचिकाएँ, जिसमें आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हो, प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 35 (पैंतीस) कार्य दिवस के भीतर, जैसा अंचल अधिकारी विधिसम्मत उचित समझे, आदेश पारित कर निष्पादन कर सकेंगे (नियमावली की प्रति संलग्न) ।

साथ ही बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के धारा 9(i) के अनुसार सक्षम प्राधिकार (संबंधित भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता) विवादों के त्वरित निराकरण के लिये हर संभव कदम उठायेगा और अपने समक्ष वाद दायर होने की तिथि से अधिकतम 3 माहों के अन्दर उसका अंतिम न्याय निर्णय सुनिश्चित करेंगे (अधिनियम की प्रति संलग्न)।

(2) स्वीकारात्मक । विभागीय पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदन (दिनांक 15 नवम्बर, 2024) के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि निर्धारित समय-सीमा के अन्दर (अधिकतम 3 माह) निष्पादन का प्रतिशत 15.03 प्रतिशत है । तथापित कुल निष्पादन का प्रतिशत 68.46 प्रतिशत है (प्रतिवेदन की प्रति संलग्न) ।

(3) विभागीय पत्रांक 558(7), दिनांक 19 अप्रील, 2024 भूमि विवाद निवारण अधिनियम, 2009 के तहत दायर वादों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादित कराने एवं पारित आदेशों का त्वरित क्रियान्वयन हेतु सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता, बिहार निर्गत एवं संसूचित है । साथ ही उक्त हेतु सभी अपर समाहर्त्ता/सभी भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता को निदेशित किया गया है (प्रति संलग्न) । उल्लेखनीय है कि भूमि सुधार उप-समाहर्त्ताओं द्वारा राजस्व न्यायालीय कार्यों के अतिरिक्त विधि व्यवस्था संबंधी कार्य एवं चुनावी कार्य भी किया जाता है । विगत मार्च, अप्रील एवं मई में सम्पन्न लोक सभा चुनाव के कारण भी राजस्व न्यायालीय कार्य बाधित रहा । विभागीय आदेश ज्ञापांक संख्या 583(3), दिनांक 19 सितम्बर, 2024 द्वारा राजस्व संबंधी कार्यों का त्वरित निष्पादन हेतु सभी भूमि सुधार उप-समाहर्त्ताओं के लिये 3 चरणों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है (प्रति संलग्न) । समय-समय पर विभागीय स्तर से भूमि सुधार उप-समाहर्त्ताओं के कार्यों का समीक्षा एवं मूल्यांकन किया जाता है, इसके लिये प्रत्येक माह भूमि सुधार उप-समाहर्त्ताओं के बैठक का आयोजन किया जाता है ।

दोषी पर कार्रवाई

24. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फुलवरिया एवं पचपकड़ी के भवन निर्मित जमीन का दाखिल-खारिज तथा जमाबंदी कायम नियम विरुद्ध किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा अपर मुख्य सचिव को दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 को दिये गये शिकायत-पत्र के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सहायक निदेशक, भू-अर्जन-सह-संयुक्त सचिव द्वारा समाहर्त्ता पू0च0 पत्रांक 2941, दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 द्वारा वरीय पदाधिकारी से जाँच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार फुलवरिया एवं पचपकड़ी सरकारी विद्यालय के भवन निर्मित जमीन का अंचलाधिकारी/कर्मचारी/कर्मियों/विक्रेता की मिलीभगत से नियम विरुद्ध हुये दाखिल-खारिज, जमाबंदी को रद्द करने तथा दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 28 नवम्बर, 2024 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 49(एल0ए0), 2024-25-डी0टी0पी0-550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2024